

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगाढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल - शीलिया



धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 337/25

दायर दिनांक 27.9.25

निर्णय दिनांक 27.9.25

क्र.सं..	नाम-श्रान	खान	रिपोर्ट		कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश	
1	शीलिया	260	महोदय जी, निवेदन है कि मुलाबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्रविष्टि	शुद्ध प्रविष्टि	तहसीलदार कपासन की अनुशंभा स्वीकार की जाकर राज.भू.सं.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>शीलिया</u> प.ह. <u>शीलिया</u> खालास <u>260</u> में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			हस्ताक्षर पदवार <i>(Signature)</i>	हस्ताक्षर निरूपण <i>(Signature)</i>	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार <i>(Signature)</i>	पदेन सहायक कलक्टर कपासन <i>(Signature)</i>

प्रतिलिपि पालनाश्रुः-

- पदवारी पदवार मण्डल शीलिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। कपासन जिला-चितौडगाढ

तहसीलदार (प.अ.) कपासन
कपासन